सं०सं०–6 / एन0–08–06 / 2009–.......

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

मिनर्वा स्कूल ऑफ नर्सिंग, ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल, कल्पतरू भवन, अललपट्टी, दरभंगा का पूर्व निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–1023(6), दिनांक–03.11.2016 के माध्यम से गठित औचक निरीक्षण दल द्वारा दिनांक–24.11.2016 को औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण दल द्वारा उक्त संस्थान के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्थान के अन्तर्गत आधारभूत संरचनाएँ नही के बराबर है। निरीक्षण के समय छात्राएँ अनुपस्थित थी तथा प्राचार्य एवं टयूटर भी अनुपस्थित थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रशिक्षण विद्यालय नियमानुकूल संचालित नहीं है।

प्रेषित प्रतिवेदन के अन्तर्गत पायी गयी त्रुटियों के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–32(6), दिनांक–20.01.2017 के माध्यम से उक्त संस्थान से कारण पृच्छा की गयी थी एवं पत्र निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। परन्तु संबंधित संस्थान से निर्धारित समयावधि में वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में औचक जाँच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर मिनर्वा स्कूल ऑफ नर्सिंग, ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल, कल्पतरू भवन, अललपट्टी, दरभंगा को पूर्व निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–702(6), दिनांक–05.09.2011 के माध्यम से पूर्व प्रदत्त मान्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : सं0सं0–6 / एन0–08–06 / 2009 – 120(6) पटना दिनांक 16 / 02 / 2017

प्रतिलिपिः– सचिव, मिनर्वा स्कूल ऑफ नर्सिंग, ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल, कल्पतरू भवन, अललपट्टी, दरभंगा (E-mail-minervaschoolofnursing@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, दरभंगा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री प्रसाद), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार, इस आदेश को विभागीय बेवसाईट पर शीध्र अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

15/2/17

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।